| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br>निगरानी./टीए/3436/2005/भरतपुर<br>मखन बनाम रामजीत व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**

**उपस्थितः–**
श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी ब्रीफ होल्डर।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

––

**निर्णय**

**दिनांकः– 06–12–2019**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कामां के आदेश दिनांक 30–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अप्रार्थी द्वारा पेश वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा की कार्यवाही में न्यायालय ने तनकी संख्या 3, 4, 5 को मूल वाद के निर्णय के समय निस्तारित करने की आज्ञा जारी की है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 14 नियम 2 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किया है, क्योंकि कानूनी एवं विधिक तनकी का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि मामले में विवाद्यक संख्या 3 लगायत 5 विधिक तनकी है, जिनका निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायसंगत है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2005 को निरस्त कर विवाद्यक संख्या 3 लगायत 5 का निर्णय सर्वप्रथम किए जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किए जाने का निवेदन किया।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br>निगरानी./टीए/3436/2005/भरतपुर<br>मखन बनाम रामजीत व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए आलोच्य निगरानी को सारहीन होना कथित किया है। उनका कहना है कि आलोच्य विवाद्यकों के बाबत शहादत पेश होना आवश्यक होने के कारण न्यायालय ने इनका निर्णय मूल वाद के निर्णय के साथ किए जाने का निष्कर्ष अंकित किया है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि बिना शहादत व बिना निर्णय प्रति के इन तनकीयों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेशस को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया।

प्रस्तुत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 नियम 2 से संबंधित है, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः–

> "Court to pronounce judgment on all issues.- (1) Notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue, the Court shall, subject to the provisions of sub-rule (2), pronounce judgment on all issues.
>
> (2) Where issues both of law and of fact arise in the same suit, and the Court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only, it may try that issue first if that issue relates to-
>
> (a) the jurisdiction of the Court, or
>
> (b) a bar to the suit created by any law for the time being in force, and for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of the other issues until after that issue has been determined, and may deal with the suit in accordance with the dexision on that issue.

अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश में दिया गया

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br>निगरानी./टीए/3436/2005/भरतपुर<br>मखन बनाम रामजीत व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अभिमत कि इन तीनों तनकीयात के युक्तियुकत निर्णय के लिए प्रकरण में शहादत पेश होना बहुत आवश्यक है एवं पूर्व प्रकरण के दावे की कापी तो रेकार्ड पर उपलब्ध है वरन् निर्णय या आदेशिका की प्रति रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः बिना शहादत के व बिना निर्णय प्रति के इन तनकीयात का निर्णय नहीं किया जा सकता है अतः इन तनकीयात का निर्णय भी मूल वाद के निर्णय के साथ ही किया जाना अधिक युक्तियुक्त है। उक्त विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत विधि सम्मत नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है। तदनुसार प्रश्नगत निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>परिणामतः प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-04-2005 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि विधायिका की भावना के अनुसार न्यायालय आलोच्य वाद में कानूनी विवाद्यक संख्या 3 लगायत 5 का उपलब्ध रेकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर सर्वप्रथम निस्तारण के बाद यदि उचित पाया जावे तो अतिरिक्त तनकियों का निर्धारण करें। चूँकि मूल वाद वर्ष 2004 में संस्थित किया गया है जिसे लगभग 15 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है,। इसे दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय नजदीकी तारीख पेशी निर्धारित कर दो माह की अवधि में मूल वाद का विधि सम्मत निर्णय पारित करें।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(प्रवीण गुप्ता)**<br>**सदस्य** | |

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज**<br>**निगरानी./टीए/3436/2005/भरतपुर**<br>**मखन बनाम रामजीत व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |